

**जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 02-04-2021**

आज दिनांक 02.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

**10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना महुली पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता राजन चौहान पुत्र लालचन्द निवासी नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 107 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी का विवरण –**

10 लीटर अवैध कच्ची शराब।

**गिरफ्तारी टीम का विवरण –**

उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, का0 प्रभात कुशवाहा।

**दुष्कर्म करने के मामले अभियुक्त को भेजा गया जेल**

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 158/21 धारा 376 भा0द0वि0 मे अभियुक्त नाम पता झिन्नान उर्फ झिनकान पुत्र रामदास निवासी बछईपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी का मंदबुद्धि पुत्री के साथ दिनांक 01.04.2021 के सायं 7 बजे के आसपास शौच जाते समय पकड़कर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोगों द्वारा अभियुक्त को मौके से पकड़कर पुलिस की हिरासत में दिया गया। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर आज दिनांक 02.04.2021 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**जनपद सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को किया गया गिरफ्तार**  
**थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता प्रदीप कुमार पुत्र लालमुनि निवासी कम्हरिया**  
**थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।**  
**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अमर सिंह मय हमराह ।**

### **शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

- **थाना महली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।**

### **पीआरवी आफ द डे**

**पीआरवी 2545 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त व मारपीट में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल-** पीआरवी 2545 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत बघौली से इवेन्ट संख्या 05332 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बची गयी । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 हरिद्वार सिंह, म0आरक्षी नीलम यादव, म0आ0 रेनु पाल, हो0चा0 संजय चौधरी ।**

### **मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 89 वाहनो से 74000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 02.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 89 वाहनो से 74000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।